न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 29/2024
जीसीएमएस नं. : 2024/100

प्रार्थी :–

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री राघव मेहता/ मोहनलाल मेहता, प्रोपराईटर मंगलम मिष्ठान भण्डार एण्ड रेस्टोरेंट, बागीदौरा जिला बांसवाडा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी स्वयं

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 18–12–2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 25.09.2024 को मंगलम मिष्ठान भण्डार एण्ड रेस्टोरेंट, बागीदौरा जिला बांसवाडा (राजस्थान) का निरीक्षण श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत, प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान मंगलम मिष्ठान भण्डार एण्ड रेस्टोरेंट, बागीदौरा जिला बांसवाडा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री राघव मेहता/ मोहनलाल मेहता उपस्थित मिले। जांच में मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	भारत गैस	361262 T	24.900	15.700	9.200

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

श्री राघव मेहता/ मोहनलाल मेहता द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर सत्यम भारत गैस, बागीदौरा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अजीज मोहम्द को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी बॉसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 29.11.2024 को अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया। दिनांक 18.12.2024 को अप्रार्थी द्वारा पुनः एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे दुकान के कर्मचारी द्वारा सिलेण्डर को गलती से मेरी दुकान में रख दिया। जब्त किये गये घरेलु गैस सिलेण्डर राजसात किया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नही है। जवाब के साथ ही अप्रार्थी द्वारा बहस हेतु निवेदन करने पर सुना गया। प्रस्तुत बहस में भी जवाब में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराया।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 25.09.2024 को मंगलम मिष्ठान भण्डार एण्ड रेस्टोरेंट, बागीदौरा जिला बांसवाडा (राजस्थान) का निरीक्षण श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत, प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान मंगलम मिष्ठान भण्डार एण्ड रेस्टोरेंट, बागीदौरा जिला बांसवाडा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री राघव मेहता/ मोहनलाल मेहता उपस्थित मिले। जांच में मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्री राघव मेहता/ मोहनलाल मेहता द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11 11:11:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर सत्यम भारत गैस, बागीदौरा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अजीज मोहम्मद को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मंगलम मिष्ठान भण्डार एण्ड रेस्टोरेंट, बागीदौरा जिला बांसवाडा (राजस्थान) व्यवसायिक संस्थान पर उपयोग करते हुए पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 18–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11 11:51:55 IST
Reason: SelfAttested